177

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग-2197-I-16

श्री ... द्वारा आज दि. 4-7-16 को प्रस्तुत

रीडर ... आफ कोर्ट 16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक– 2016
विश्वंम जेम्स एण्ड ज्वेलरी इण्डिया प्राईवेट लि.
द्वारा डायरेक्टर श्री ओम प्रकाश कृपलानी आ0
स्वर्गीय श्री मूलचन्द कृपलानी, निवासी–510, पांचवा
तल, आशिमा कार्पोरेट जोन, आशिमा मॉल,
होशंगाबाद रोड़, भोपाल (म.प्र.)।
द्वारा मुख्त्यारग्रहीता श्री नीलमणि लोधी आ0 श्री
लोक विजय लोधी, उम्र–25 वर्ष, निवासी–ग्राम
महराज, पोस्ट आफिस–महराजगंज, तहसील रैपुरा
जिला पन्ना (म.प्र.) .... आवेदक

बनाम्

(1)– अमर जीत राय पिता मन्टू राय, उम्र–29 वर्ष, पेशा व्यापार, साकिन ग्राम हाटूपुर, तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.),

(2)– श्रीमती गीता पुत्री योगेश दास पत्नि मन्टू राय, उम्र–45 वर्ष, साकिन ग्राम हाटूपुर, तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.) .... अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश श्रीमान् कलेक्टर महोदय पन्ना के राजस्व प्रकरण क्रमांक–2 अ 21 वर्ष 2014–2015 में पारित आदेश दिनांक 02 जून 2016 से दुःखित होकर।

....

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

....

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

(1)– यह कि ग्राम हाटूपुर रा0नि0म0 बृजपुर तहसील व जिला पन्ना मध्यप्रदेश की आराजी सर्वे नम्बर–319/2/237/2 रकबा 0.33 हैक्टेयर लगा 0.83 पैसा अनावेदक क्रमांक–2 के नाम पर राजस्व रिकार्ड में स्वामित्व एवं आधिपत्य में दर्ज रही है। जिसे कि उसने दिनांक 01/08/2014 को मूवलिग दो लाख चालीस हजार रूपये में आवेदक को विक्रय कर विक्रय–पत्र का पंजीयन करा दिया और तभी से इस आराजी पर आवेदक का स्वामित्व एवं आधिपत्य है। भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका की प्रति संलग्नक–ए–1 है एवं विक्रय–पत्र की प्रति संलग्नक–ए–2 है।

क्रमशः 2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2197-एक/2016 जिला पन्ना

विश्वम जेम्स विरूद्ध अमरजीत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
12-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 2/अ-21/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 02-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 12-3-19 (आर.के.जैन) सदस्य	